न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **68/2021** अन्तर्गत धारा 188 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कमलसिंह पुत्र दीपसिंह 2. देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सादुलसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. मोतीसिंह पुत्र सादुलसिह 3. भगवानसिंह पुत्र सादुलसिह 4. जेठमालसिंह पुत्र सादुलसिंह 5. धनसिंह पुत्र सादुलसिंह 6. दुर्जनसिंह पुत्र सादुलसिंह 7. गणपतसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.09.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का खेत मौजा नागणासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 265/66 रकबा 32.0511 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण, वादीगण के खातेदारी खेत में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी में ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ मारपीट की गई तथा उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासी ढाणी, पानी के टांके व पशुबाड़ों सहित काबिज काश्त है तथा वर्तमान में कृषि टयूबवेल करवाकर खेत के चारो तरफ तारबंदी भी की हुई है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा हमारी खातेदारी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मारपीट की गई तथा हमारी खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीगण के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, वादीगण के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:23:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके के प्रवेश कर वादीगण की खातेदारी में दखलदांजी करने व कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर आमादा होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

है। उक्त वादग्रस्त आराजी सिंचित भूमि होने से विवाद होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वादीगण अपनी खातेदारी में दखलदांजी करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा होने से वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में दखलदांजी रोकने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा नागणासर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 265/66 रकबा 32.0511 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने, विधि विरूद्ध तरीके से प्रवेश नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:45 IST
Reason: SelfAttested